भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 356

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

356. श्री परषोतमभाई रुपालाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे उनके कल्याण और स्वास्थ्य सेवा संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के समन्वय से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करने का इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2036 के बीच वृद्धजनों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति) की जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2036 में 23 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत हो जाएगी।

(ख): वृद्धजनों की आबादी की बढ़ती जरूरतों को समझते हुए और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 01.04.2021 से अटल वयो अभ्युदय योजना

(एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है। योजना के घटकों का विवरण इस प्रकार है-

i. **आईपीएसआरसी (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम)** - आईपीएसआरसी के तहत, वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हुए तथा उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

ii. **एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना)** - भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी स्वयं की राज्य कार्य योजनाएं तैयार करें। एसएपीएसआरसी के तहत, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। एसएपीएसआरसी को वित्त वर्ष 2019-20 से लागू किया जा रहा है।

iii. **आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना)** - इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता उपकरण और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है और जिनकी पारिवारिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। यह योजना 2017 से लागू की जा रही है।

iv. **एल्डरलाइन-** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे विभिन्न अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करता है और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करता है।

v. **वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण-** इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल तरीके से देखभाल करने वालों का एक कैडर भी बनाया जा सके। वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों की भारी कमी और बाजार में बढ़ती उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने इस मांग को पूरा करने के लिए वृद्धावस्था सेवा प्रदाता के क्षेत्र में 1,00,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।

vi. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल-** वृद्धावस्था को स्वाथ्यकर और उपयोगी बनाने के लिए देश भर में कई पहलें की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में वृद्धजनों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

vii. **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज)** - इसका मुख्य उद्देश्य आमतौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए असाधारण और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इसके लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का भी गठन किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल किया गया है ताकि नीति के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके और वृद्धजनों के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन में सरकार को सलाह दी जा सके। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अधिदेश वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि से संबंधित सभी मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना है।

(ग): नीति आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की समग्र देखभाल और कल्याण के लिए कार्यनीतिक ढांचे की सिफारिश करने के लिए हितधारक मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वाले संगठनों और उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, नीति आयोग ने फरवरी, 2024 में भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार - वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के तरीके पर पुनर्विचार के संबंध में एक पोजिशन पेपर भी प्रकाशित किया है।

(घ): सरकार ने व्यापक योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के स्वास्थ्य कवरेज को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ा दिया है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) योजना चला रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: (i) समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल का दृष्टिकोण, (ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर समर्पित सेवा, (iii) 10 बिस्तरों वाले वार्डों वाले जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाएं, (iv) वृद्धजनों के लिए समर्पित विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय वृद्धावस्था केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, (v) मास मीडिया, लोक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और (vi) वृद्धावस्था के संबंध में कार्यक्रम और अनुसंधान तथा एनपीएचसीई के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी और स्वतंत्रत मूल्यांकन (vii) राष्ट्रीय

स्वास्थ्य मिशन के विशिष्ट घटक का नाम बदलकर 2016-17 में राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है, जिसके तहत 17 क्षेत्रीय वृद्धावस्था देखभाल केंद्र और 2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं।

*****